

आदर्श कारागार अधिनियम, 2023

प्रलिस के लयः

[जेल अधनललम, 1894](#), [जेल](#), [राज्य का वषलल](#), [NCRB](#), [NALSA](#), [ई-जेल](#)

मेन्स के लयः

आदर्श कारागार अधनललम, 2023, भारत में कारागार से संबंढतल मुद्दे

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय (MHA) ने 'मॉडल जेल अधनललम, 2023' तैयार कलल है, जो ब्रलटलशल युग के कानून (1894 का जेल अधनललम) की जगह लेगा, ताकजेल प्रशासन में सुधार कलल जा सके, यह कैदलल के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रतल करेगा।

आदर्श कारागार अधनललम, 2023:

■ आवश्यकता:

- पुराने स्वतंत्रता-पूर्व अधनललम, 1894 के कारागार अधनललम में "कई खामलल" हैं और मौजूदा अधनललम में सुधारात्मक फोकस की "स्पष्ट चूक" था।
- जेल अधनललम 1894 मुख्य रूप से अपराधलल के हरलसत में रखने और जेलों में अनुशासन एवं व्यवस्था को लागू करने पर केंद्रतल है। इस अधनललम में कैदलल के सुधार तथा पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है।

■ नए अधनललम की मुख्य वषलषताएँ:

- कारागारों में मोबाइल फोन जैसी प्रतबिंढतल वस्तुओं के इस्तेमाल पर कैदलल और कारागार कर्मचारलल के लयल दंड का प्रावधान।
- उच्च सुरक्षा वाले कारागारों, खुले कारागारों (खुले एवं अर्द्ध खुले) की स्थापना एवं प्रबंधन।
- कुख्यात और आदतन अपराधलल की आपराधक गतवलधलल से समाज को सुरक्षतल रखने के प्रावधान।
- अच्छे आचरण को प्रोत्साहतल करने के लयल कैदलल को कानूनी सहायता, पैरोल, फरलो और समय से पहले रहलई प्रदान करना।
- कैदलल का सुरक्षा मूलांकन और अलगाव, कसी वयक्तल की सज़ा का नरिधारण; शकललत नवलरण, कारागार वकलस बोर्ड, कैदलल के प्रतवलवयहार में बदलाव एवं महिला कैदलल, ट्रांसजेंडर आदल के लयल अलग आवास का प्रावधान।
- कारागार प्रशासन में पारदर्शतल लाने की दृष्टल से इसमें प्रौद्योगकल के उपयोग का प्रावधान, न्यायालयों के साथ वीडलल कॉन्फरेंसलंग का प्रावधान, कारागारों में वैज्ज्ञानक तथा तकनीकी हस्तक्षेप आदल का प्रावधान कलल गया है।

■ महत्त्व:

- भारत में कारागार और 'उसमें हरलसत में रखे गए वयक्तल' राज्य का वषलल है। आदर्श कारागार अधनललम, 2023 का उपयोग राज्यों द्वारा प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर अपनाए जाने वाले आदर्श कानून के रूप में कलल जा सकतल है।
- कैदी अधनललम, 1900 और कैदलल का स्थानांतरण अधनललम, 1950 दशकों पुराना है तथा इन अधनललमों के प्रासंगक प्रावधानों को आदर्श कारागार अधनललम, 2023 में शामिल कलल गया है जसलसे भारतीय कारागार प्रणाली को अंतर्राष्टरीय मानकों के साथ संरेखतल करने और आवश्यक सुधार होने की उम्मीद है।

भारत में कारागार से संबंढतल मुद्दे:

■ कारागार में क्षमता से अधकल भीड:

- यह भारत में कारागार प्रणाली का गंभीर मुद्दा रहा है। [राष्टरीय अपराध रकॉर्ड बयरो](#) की एक रपॉर्ट के अनुसार, कारगारों की अधभोग दर (Occupancy Rate) जेल क्षमता का 118.5% है।
- यह पाया गया कल 4,03,700 की क्षमता वाले कारगारों में कैदलल की संख्या लगभग 4,78,600 थी।
- भीडभाड के कारण रहने की स्थतल खराब होती है। इससे कई संचारी रोगों के संचरण का जोखमल बना रहतल है।

■ स्वास्थ और स्वच्छता:

- बहुत से कारागारों में उचित चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इससे कई कैदियों की अनदेखी भी की जाती है और उनमें से अधिकांश अनुपचारित ही रहते हैं। कैदियों के लिये साफ-सफाई व स्वच्छता की भी व्यवस्था ठीक नहीं है।
- **ट्रायल में विलंब:**
 - ऐसा देखा जाता है कि कई मामले कई वर्षों से लंबित हैं। इससे जेल प्रशासन प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होता है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने 22222222 222222 2222 2222 2222 मामले 1979 में कैदियों के त्वरित परीक्षण/ट्रायल के अधिकार को मान्यता दी।
- **हरिसत में यातना:**
 - कैदियों को हरिसत में यातनाएँ काफी प्रचलित हैं। हालाँकि वर्ष 1986 में डी.के. बसु के मामले में लिये गए ऐतिहासिक फैसले के बाद पुलिस को थर्ड-डिग्री यातना देने की अनुमति नहीं है, फिर भी जेलों के अंदर क्रूर हरिसा का प्रचलन है।
 - गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2017-2018 के दौरान पुलिस हरिसत में मौत के कुल 146 मामले दर्ज किये गए, पछिले पाँच वर्षों में **हरिसत में मौत** की सबसे अधिक संख्या (80) गुजरात में, इसके बाद महाराष्ट्र (76), उत्तर प्रदेश (41) में दर्ज की गई।
- **महिलाएँ और बच्चे:**
 - महिला अपराधियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। हालाँकि उन्हें स्वच्छता सुविधाओं की कमी, गर्भावस्था के दौरान देखभाल की कमी, शैक्षिक प्रशिक्षण की कमी सहित शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
 - बच्चों को ज्यादातर जेलों के बजाय सुधार गृहों में रखा जाता है ताकि वे खुद को सुधार सकें और अपने सामान्य जीवन में वापस जा सकें। हालाँकि उन्हें बहुत अधिक दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है एवं मनोवैज्ञानिक आघात से गुजरना पड़ता है।

इन समस्याओं पर नियंत्रण:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में जेल सुधारों पर अपने सेवानवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
- भीड़भाड़ यानी स्पीडी ट्रायल, वकीलों से कैदियों के अनुपात में वृद्धि, विशेष न्यायालयों की शुरुआत, स्थगन से बचने की समस्या को दूर करने हेतु सफाई की गई।
- उन्होंने जेल के पहले सप्ताह में प्रत्येक नए कैदी हेतु नैशुल्क फोन कॉल की भी सफाई की। समिति ने आधुनिक रसोई सुविधाओं की भी सफाई की।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 304 हरिसत में मौत हेतु सज़ा का प्रावधान करती है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 में जेलों के अंदर CCTV लगाने के बारे में सफाई की है।

भारत में कारागार सुधारों से संबंधित पहलें:

कारागार योजना का आधुनिकीकरण: कारागारों, कैदियों और कर्मियों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना वर्ष 2002-03 में शुरू की गई थी।

- **कारागार योजना का आधुनिकीकरण (2021-26):** सरकार ने नमिनलखित के लिये कारागार में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने हेतु योजना के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है:
 - कारागारों की सुरक्षा बढ़ाई जाए।
 - प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से कैदियों के सुधार और पुनर्वास के कार्य को सुगम बनाना।
- **ई-कारागार योजना:** ई-कारागार योजना का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन में दक्षता लाना है।
- **मॉडल प्रज़िन मैनुअल 2016:** मैनुअल कारागार के कैदियों को उपलब्ध कानूनी सेवाओं (मुफ्त सेवाओं सहित) के संदर्भ में वसितृत जानकारी प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA):** इसका गठन वधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था, जो 9 नवंबर, 1995 को समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम वधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिये लागू हुआ था।

नबिकरष:

- भारत की कारागार प्रणाली में प्राचीन काल से महत्त्वपूर्ण सुधार हुए हैं लेकिन आधुनिक समय में अभी भी इसमें और सुधार की आवश्यकता है।
- भारत में लागू किये गए वभिन्न कारागार सुधारों के बावजूद स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि यद्यपि कैदियों ने अपराध किये हैं, फिर भी उनके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उनसे छीने नहीं जा सकते।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

